

न्यायालय:- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- 01 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय,  
चन्देरी जिला-अशोकनगर  
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103001102009

दांडिक प्रकरण क.-157 / 2009

संस्थापित दिनांक-05.02.2009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	
अभियोजन	
विरुद्ध	
01-कपूरा आदिवासी पुत्र सेवलाल उर्फ शिवलाल आदिवासी आयु 42 वर्ष निवासी ग्राम हलनपुर, चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0	
आरोपी	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री गौरव जैन अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 02.11.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 456,354,323 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 323 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 456,354 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी मुन्नीबाई ने दिनांक 19.01.09 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 17.01.09 को 12 बजे फरियादी की टपरिया ग्राम हलनपुर में वह सो रही थी तब आरोपी टपरिया के अंदर आया और उसने हाथ पकड़कर उसका सीना दबाया जिससे उसकी नींद खुल गई और उससे कह रहा था कि बुरा काम कर लेने दो जिस पर से वह जोर से चिल्लाई एवं उसकी सास तथा वेटी जग गई और पकड़ने पर वह लाठी देकर भाग गया जिससे उसे चोट आई। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 25/09 के अंतर्गत भादवि की धारा 456,354,323 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 456,354,323 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 17.01.09 रात्रि 12:00 बजे फरियादिया मुन्नीबाई की टपरिया ग्राम हलनपुर में आपने उसकी लज्जा भंग करने
- 2 के आशय से उसकी टपरिया में प्रवेश किया ?

क्या उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर आरोपी द्वारा फरियादी की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

07— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशुद्ध एवं अंतर्वर्तित हैं। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 मुन्नीबाई, अ.सा.2 कोशियाबाई, अ.सा.3 बलवीर, अ.सा.4 कल्लू, अ.सा.5 काशी आदिवासी, अ.सा.6 ललताबाई, अ.सा.7 उमेश मिश्रा, की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 मुन्नीबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह अपनी सास के साथ रात को सो रही थी तब आरोपी उसके घर में घुस आया और उसे गालियां देकर उसका हाथ पकड़ लिया। अ.सा.1 के अनुसार वह रोने लगी तथा आरोपी ने उसका सीना दबा दिया था और उससे कहा था कि बुरा काम कर लेने दो। अ.सा.1 के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट प्र0पी01 लेखवद्ध कराई थी। अ.सा.2 कोशियाबाई ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने उसकी बहु के हाथ में लठठ से मारा था। अ.सा.1 के अनुसार आरोपी उसकी टपरिया में घुस आया था तथा आरोपी डंडा साथ में लाया था। अ.सा.1 के अनुसार आरोपी ने उसकी छाती पर हाथ रखा था जिस पर से उसने उसको डांटा था तथा उसने उसे बुरा काम नहीं करने दिया तो वह उसे लाठी मारकर भाग गया।

09— अ.सा.3 बलबीर ने अपने कथन में बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने कोई घटना नहीं देखी तथा उक्त

साक्षी ने पुलिस कथन प्र0पी03 देने से इंकार किया है। इसी प्रकार अ.सा.4 कल्लू ने भी अपने कथन में बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार जब वह मौके पर पहुंचा तो दोनों पक्ष एक दूसरे को गालियां दे रहे थे और फिर कपूरा को पकड़ कर घर ले गया था। अ.सा.4 ने पुलिस कथन प्र0पी04 देने से इंकार किया है। अ.सा.5 काशी आदिवासी एवं अ.सा.6 ललतोवाई ने अपने कथन में बताया है कि उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षीगण के अनुसार उन्होंने कोई घटना नहीं देखी है। अ.सा.5 एवं अ.सा.6 ने पुलिस कथन प्र0पी05 एवं प्र0पी06 देने से इंकार किया है।

10— अ.सा.7 जो कि मामले का विवेचक है उसने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में नक्सा मौका प्र0पी02 तैयार किया था तथा उक्त साक्षी के अनुसार उसने साक्षीगण के कथन लेखवद्ध किये थे। अ.सा.7 के अनुसार उसने प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार किया था। अ.सा.7 ने इस बात से इंकार किया है कि उसने प्रकरण में झूठी विवेचना की है। आरोपी की ओर से बचाव साक्षी धनीराम ने अपने कथन में बताया है कि फरियादी ने आरोपी की झूठी रिपोर्ट की है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि मुन्नीबाई ने उसे बताया था कि आरोपी ने उसके साथ मारपीट की है।

11— अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि मामले की फरियादिया अ.सा.1 मुन्नीबाई ने अपने कथन में स्पष्टरूप से बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी रात्रि में उसके घर में घुस आया था तथा आरोपी ने बुरी नियत से उसका सीना दबा दिया था। फरियादिया ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी रात्रि में उसकी टपरिया के अंदर आ गया था तथा बुरी नियत से उसके पास आ गया था। अ.सा.2 जो कि फरियादिया की सास है ने भी अपने कथन में बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी रात्रि में उनके घर में घुस आया था। इस प्रकार फरियादिया के

कथनों का अनुसर्मथन अ.सा.2 की साक्ष्य से हो रहा है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य सभी साक्षी पक्षद्रोही हो गये हैं तथा उनके द्वारा अभियोजन की कहानी का सर्मथन नहीं किया गया है। मात्र अ.सा.4 ने अपने कथन में बताया है कि जब वह मौके पर पहुँचा था तो उसने देखा कि दोनों पक्ष एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। इस प्रकार अ.सा.4 की साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को कोई घटना घटी थी।

12— अभियोजन की कहानी के अनुसार घटना दिनांक को घटने वाली घटना फरियादिया के घर में घटी थी, और इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त घटना की जो चक्षुदर्शी साक्षी होंगे वे फरियादिया के घरवाले ही होंगे तथा कोई बाहरी व्यक्ति घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना संभव नहीं है। वह भी तब जबकि घटना का समय रात्रि 12 बजे का है। इस प्रकार घटना के जो साक्षीगण हैं उनमें फरियादिया अ.सा.1 तथा अ.सा. 2 की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी फरियादिया के घर में रात्रि में घुसा था तथा उसके द्वारा फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया था। उल्लेखनीय है कि आरोपी की ओर से ऐसी कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा मामले में झूठी कार्यवाही की गई है।

13— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 456,354 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

14— आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)  
व्य० न्याया० वर्ग-01 एवं न्यायाधिकारी  
ग्राम न्यायालय, चंदेरी

**पुनश्च:-**

15- आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव जैन का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपी का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है तथा एक महिला के विरुद्ध उक्त अपराध कारित किया गया है। . इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

16- जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपी को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा किसी महिला के साथ कोई अपराध कारित किया जाता है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में पूर्व में फरियादिया द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया है किंतु उक्त धाराएं राजीनामा योग्य न होने से विचारण जारी रखा गया। इस प्रकार दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा हो गया है तथा उक्त राजीनामा को ध्यान में रखना उचित होगा और उसी के आधार पर आरोपी के विरुद्ध कोई दंडादेश पारित करना समीचीन प्रतीत होता है। आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड भी नहीं है तथा आरोपी की आयु लगभग 50 वर्ष की है तथा आरोपी

के बच्चे है और ऐसी दशा मे यदि आरोपी को कारावास के दण्डादेश से दंडित किया गया तो उसका प्रतिकूल प्रभाव आरोपी के आर्थिक एवं मानसिक स्थिति पर पडने की संभावना है और साथ ही उक्त राजीनामा का उद्देश्य भी विफल हो सकता है। उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 354, का आरोप धारा 354 भा.द. वि . मे किये गये शंसोधन में वर्ष 2013 के पूर्व किये गये शंसोधन का आरोप है और जिस पर पूर्व में लिखे दण्डादेश ही लागू होगा । अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी को भा.द.वि. की धारा 354 के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 / – रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 03 दिवस का साधारण कारावास भोगेगा। आरोपी को भा.द.वि. की धारा 456 के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 / – रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 03 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

17— आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

18— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

19— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

20— आरोपी का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
व्य० न्याया० वर्ग-०१ एवं न्यायाधिकारी  
ग्राम न्यायालय, चंदेरी

(जफर इकबाल)  
व्य० न्याया० वर्ग-०१ एवं न्यायाधिकारी  
ग्राम न्यायालय, चंदेरी